

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 19 : Amendment of registration

- (1) Where there is any change in any of the particulars furnished in the application for registration in **FORM GST REG-01** or **FORM GST REG-07** or **FORM GST REG-09** or **FORM GST REG-10** or for Unique Identity Number in **FORM GST REG-13**, either at the time of obtaining registration or Unique Identity Number or as amended from time to time, the registered person shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, electronically in **FORM GST REG-14**, along with the documents relating to such change at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that -

- (a) Where the change relates to,—
- (i) legal name of business;
 - (ii) address of the principal place of business or any additional place(s) of business; or
 - (iii) addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day to day affairs of the business,—

which does not warrant cancellation of registration under section 29, the proper officer shall, after due verification, approve the amendment within a period of fifteen working days from the date of receipt of application in **FORM GST REG-14** and issue an order in **FORM GST REG-15** electronically and such amendment shall take effect from the date of occurrence of the event warranting such amendment;

- (b) The change relating to sub-clause (i) and sub-clause (iii) of clause (a) in any State or Union territory shall be applicable for all registrations of the registered person obtained under the provisions of this Chapter on the same Permanent Account Number;
- (c) Where the change relates to any particulars other than those specified in clause (a), the certificate of registration shall stand amended upon submission of the application in **FORM GST REG- 14** on the common portal;
- (d) Where a change in the constitution of any business results in change of Permanent Account Number of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in **FORM GST REG-01**;

Provided further that any change in the mobile number or e-mail

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

address of the authorised signatory submitted under this rule, as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided under ¹[sub-rule (2) of rule 8].

- ²(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any particular of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application in **FORM GST REG-14** on the common portal except with the order of the Commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as the Commissioner may, in the said order, specify.]
- (2) Where the proper officer is of the opinion that the amendment sought under sub-rule (1) is either not warranted or the documents furnished therewith are incomplete or incorrect, he may, within a period of fifteen working days from the date of receipt of the application in **FORM GST REG-14**, serve a notice in **FORM GST REG-03**, requiring the registered person to show cause, within a period of seven working days of the service of the said notice, as to why the application submitted under sub-rule (1) shall not be rejected.
- (3) The registered person shall furnish a reply to the notice to show cause, issued under sub-rule (2), in **FORM GST REG-04** within a period of seven working days from the date of the service of the said notice.
- (4) Where the reply furnished under sub-rule (3) is found to be not satisfactory or where no reply is furnished in response to the notice issued under sub-rule (2) within the period prescribed in sub-rule (3), the proper officer shall reject the application submitted under sub-rule (1) and pass an order in **FORM GST REG-05**.
- (5) If the proper officer fails to take any action,-
- (a) within a period of fifteen working days from the date of submission of the application, or
- (b) within a period of seven working days from the date of receipt of the reply to the notice to show cause under sub-rule (3),
- the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal.

1 Substituted for "the said rule" by Noti. No. 07/2017–Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017.

2 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 75/2017–Central Tax, dt. 29-12-2017 w.e.f. 29-12-2017.

नियम 19 : रजिस्ट्रीकरण में संशोधन

- (1) रजिस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय-समय पर यथा-संशोधित कोई परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पन्द्रह दिवस के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि-

(क) परिवर्तन निम्न से संबंधित है-

(i) कारबार का विधिक नाम;

(ii) कारबार के प्रमुख स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या

(iii) भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के जोड़ने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, कारबार के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी है;

धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का वारंट रद्दकरण नहीं होता उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में एक आदेश जारी करेगा और ऐसा वारंटिंग संशोधन की घटना घटने की तारीख से प्रभावी होगा ;

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) से संबंधित परिवर्तन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा;

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होने पर उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन करेगा :

परन्तु यह और कि इस नियम के समय-समय पर यथासंशोधित के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, ¹[नियम 8 का

1 अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा "उक्त नियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

उपनियम (2)] के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

- ²[(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्ट का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतर हो, संशोधन नहीं किया जाएगा।
- (2) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो वारंटेड नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत है, तो वह प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में सूचना तामील कर सकेगा, उक्त सूचना की तामील के सात कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, कि क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में प्रस्तुत करेगा।
- (4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में, उप-नियम (3) में विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता, तो उचित अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में आदेश पारित कर सकेगा।
- (5) यदि उचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है,—
- (क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, या
- (ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना के प्रत्युत्तर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर
- तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

2 अधिसूचना क्रमांक 75/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपनियम (1क) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2017)।